



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122025-268570
CG-DL-E-17122025-268570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5621]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2025/अग्रहायण 25, 1947

No. 5621]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025/AGRAHAYANA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5816(अ)— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के सूरत जिले के पलसाना, पुना और कामरेज तालुका में नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के कि.मी. 249+600 से कि.मी. 263+400 कि.मी. तक के भू-खण्ड का निर्माण (चौड़ीकरण/छह: लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशयकी घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, शाखा नं. 1, ए-ब्लॉक, चौथा मंजिल, बहुमाली बिल्डिंग, नानपुरा, सूरत, गुजरात को लिखित रूप में प्रस्तुत की जायेगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियोंकी सुनवाई के पश्चात्तथा ऐसी और जाँच कर ने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गाया अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमिके रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उन का हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सूरत जिले के पलसाना, पुना और कामरेज तालुका के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 के कि.मी. 249+600 से कि.मी. 263+400 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: सूरत		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कामरेज					
गांव का नाम: वाव					
1	499, 500, 501 (Old-419)	निजी	कृषि	0.0265 (हेक्टेयर)	0.0265
2	505, 506, 507 (Old-422)	निजी	कृषि / गैर कृषि	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
3	701 (Old-585)	सरकारी	तालाब	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
4	805, 806 (Old-667)	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
5	807 (Old-668)	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
6	808 (Old-669)	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0342 (हेक्टेयर)	0.0342

7	911 (Old-771)	निजी	गैर कृषि	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
8	Road1	सरकारी	रोड	0.0351 (हेक्टेयर)	0.0351
9	Road2	सरकारी	रोड	0.2545 (हेक्टेयर)	0.2545
गांव का नाम: कठोडरा					
10	425 (Road)	सरकारी	रोड	0.0488 (हेक्टेयर)	0.0488
गांव का नाम: वलथान					
11	119	निजी	रोड	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
12	166	निजी	कृषि	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
13	208	सरकारी	कैनल	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
14	209	सरकारी	कैनल	0.3879 (हेक्टेयर)	0.3879
15	210	सरकारी	कैनल	0.0836 (हेक्टेयर)	0.0836
16	212	सरकारी	कैनल	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
17	NA 118	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0586 (हेक्टेयर)	0.0586
18	NA 120	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
19	NA 150	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0189 (हेक्टेयर)	0.0189
गांव का नाम: उंभेल					
20	428 (Old-574/1/1)	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
21	634 (Old-98)	निजी	गैर कृषि	0.0266 (हेक्टेयर)	0.0266
22	691	सरकारी	रोड	0.1204 (हेक्टेयर)	0.1204
तालुक का नाम: पलसाना					
गांव का नाम: चलथान					
23	109	निजी	कृषि	0.1309 (हेक्टेयर)	0.1309
24	109P	निजी	गैर कृषि	0.0752 (हेक्टेयर)	0.0752
25	110+113	निजी	गैर कृषि	0.0136 (हेक्टेयर)	0.0136
26	115	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0534 (हेक्टेयर)	0.0534
27	116	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0062 (हेक्टेयर)	0.0062
28	123	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0261 (हेक्टेयर)	0.0261
29	124	सरकारी	कृषि	0.0708 (हेक्टेयर)	0.0708
30	33P	निजी	नॉन एग्रीकल्चर / एग्रीकल्चर	0.0435 (हेक्टेयर)	0.0435

31	Railway	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0503 (हेक्टेयर)	0.0503
32	Road4	सरकारी	रोड	0.1536 (हेक्टेयर)	0.1536
गांव का नाम: कडोदरा					
33	13	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
Total					1.777

[फा. सं. NHAI/PIU-Vadodara/10/LA-221/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2025

S.O. 5816(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction of additional structure, building (widening of NH-48 at intermittent location to existing Four/ Six lane carriageway with service road at intermittent location to Six lane carriageway with service road on both sides etc.), maintenance, management and operation of NH48 in the stretch of land from Km. 249+600 to Km. 263+400 in the Taluka Palsana, Puna & Kamrej, District Surat in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition officer, Branch-1, A-Block, 4th Floor, Bahumali Building, Nanpura, Surat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH-48 in the stretch of land from Km. 249+600 to Km. 263+400 in Taluka Palsana, Puna & Kamrej in the District of Surat in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: SURAT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kamrej					
Village: Vav					
1	499, 500, 501 (Old-419)	Private	Agriculture	0.0265 (Hectare)	0.0265
2	505, 506, 507 (Old-422)	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.0008 (Hectare)	0.0008

3	701 (Old-585)	Government	Pond	0.0021 (Hectare)	0.0021
4	805, 806 (Old-667)	Government	Non Agriculture	0.0001 (Hectare)	0.0001
5	807 (Old-668)	Government	Agriculture	0.0001 (Hectare)	0.0001
6	808 (Old-669)	Government	Agriculture	0.0342 (Hectare)	0.0342
7	911 (Old-771)	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare)	0.0075
8	Road1	Government	Road	0.0351 (Hectare)	0.0351
9	Road2	Government	Road	0.2545 (Hectare)	0.2545
Village: Kathodara					
10	425 (Road)	Government	Road	0.0488 (Hectare)	0.0488
Village: Valthan					
11	119	Private	Road	0.0012 (Hectare)	0.0012
12	166	Private	Agriculture	0.0043 (Hectare)	0.0043
13	208	Government	Canal	0.011 (Hectare)	0.011
14	209	Government	Canal	0.3879 (Hectare)	0.3879
15	210	Government	Canal	0.0836 (Hectare)	0.0836
16	212	Government	Canal	0.003 (Hectare)	0.003
17	NA 118	Private	Non Agriculture	0.0586 (Hectare)	0.0586
18	NA 120	Private	Non Agriculture	0.019 (Hectare)	0.019
19	NA 150	Private	Non Agriculture	0.0189 (Hectare)	0.0189
Village: Umbhel					
20	428 (Old-574/1/1)	Private	Non Agriculture	0.0076 (Hectare)	0.0076
21	634 (Old-98)	Private	Non Agriculture	0.0266 (Hectare)	0.0266
22	691	Government	Road	0.1204 (Hectare)	0.1204
Taluk: Palsana					
Village: Chalthan					
23	109	Private	Agriculture	0.1309 (Hectare)	0.1309
24	109P	Private	Non Agriculture	0.0752 (Hectare)	0.0752
25	110+113	Private	Non Agriculture	0.0136 (Hectare)	0.0136
26	115	Private	Non Agriculture	0.0534 (Hectare)	0.0534
27	116	Private	Non Agriculture	0.0062 (Hectare)	0.0062
28	123	Government	Non Agriculture	0.0261 (Hectare)	0.0261
29	124	Government	Agriculture	0.0708 (Hectare)	0.0708
30	33P	Private	Non Agriculture / Agriculture	0.0435 (Hectare)	0.0435

31	Railway	Government	Non Agriculture	0.0503 (Hectare)	0.0503
32	Road4	Government	Road	0.1536 (Hectare)	0.1536
Village: Kadodara					
33	13	Government	Non Agriculture	0.0016 (Hectare)	0.0016
Total					1.777

[F. No. NHAI/PIU-Vadodara/10/LA-221/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director